राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (विविध) अलेसे–I/ दिनांकः– 5/12/2016

परिपत्र

इस विभाग के पूर्व आदेश कमांक एफ3(ख)(1)(6)पदस्थापन/2016–17 अलेसे–II/1341 दिनांक 07.11.2016 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को तीन दिवस में कार्यमुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में वे विभाग की ई–मेल (1) aao1.dta@rajasthan.gov.in (सलेअ–I के लिए) (2) aao2.dta@rajasthan.gov.in (सलेअ–II के लिए) (3) jacct.dta@rajasthan.gov.in (कनिष्ठ लेखाकार के लिए) पर अविलम्ब सूचित कर तुरंत कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में आया है कि अभी तक अधिकांश कार्मिकों द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों, जिन्होने आदिनांक तक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है, को निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्हें वर्तमान कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो वे **आज ही** बिना कार्यमुक्त हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करें, अन्यथा उनका माह दिसम्बर, 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

(पंकज भाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (विविध) अलेसे–I/ 876 दिनांकः– 5/12/2016

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर लेख है कि नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें अन्यथा ऐसे कार्मिकों का माह दिसम्बर, 2016 का वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. संबंधित कोषाधिकारी.. को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जिले में स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किए जाने तक उनका माह दिसम्बर, 2016 का वेतन भुगतान का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करें।
4. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)